



The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20032021-226024 CG-DL-W-20032021-226024

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20—मार्च 26, 2021 (फाल्गुन 29, 1942)No. 12]NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20—MARCH 26, 2021 (PHALGUNA 29, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2021

सं. ए-12/11/13/भ.वि.-रेडियोग्राफर/2017-चिकित्सा-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खंड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे कनिष्ठ रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कनिष्ठ रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर, भर्ती विनियम, 2021 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता-अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए:-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

1—509 GI/2020

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी से संबंध रखता/रखती हो जो समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता: (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता– ऐसा कोई व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिल करने की शक्ति– जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- व्यावृति– इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल।	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ रेडियोग्राफर	250* (2019) *कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग' गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 (रुपये 21,700- 69,100)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी, (न

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					कि असम, मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के
					पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान
					एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के केंदशासित प्रदेश के अभ्यर्थियों
					के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) ।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए	क्या सीधी भर्ती वालों के	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा
जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा	लिए विहित आयु और	अवधि, यदि कोई	अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/
अन्य अर्हताएं।	शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति	हो	आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों
	वालों के मामले में भी	<u> </u>	द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
	लागू होंगी।		
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हताएं:	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान			टिप्पणी 1: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा
विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।			अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर
(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से			स्थानांतरित होने अथवा लंबी बीमारी
रेडियोग्राफी में (दो वर्ष की अवधि)			अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी
प्रमाणपत्र या डिप्लोमा।			परिस्थिति के अंतर्गत रिक्तियाँ केंद्रीय
टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के			सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति
मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के			आधार पर भरी जाएगी।
विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।			(क) (I) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और			आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा
अनुसूचित जनजाति से संबंधित			(ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के
अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के			लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक।
किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की			टिप्पणी 2: समान अथवा केंद्रीय सरकार के
यह राय होती है कि इन समुदायों से			किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस
अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी			नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के			बाह्रय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित
लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न			प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से
होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी			अधिक नहीं होगी।
अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
शिथिलनीय हैं।			अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की
			अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं
			होगी ।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें
अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के		भर्ती करने के लिए संघ
मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति		लोक सेवा आयोग से
अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा		परामर्श किया जाना है।
आमेलन किया जाना है।		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का	लागू नहीं
	गठन:-	

(11)	(12)	(13)
	1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप	
	चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	
	-अध्यक्ष;	
	2. निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक,	
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	
	—सदस्य;	
	3. चिकित्सा अधिकारी, अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय अथवा	
	राज्य सरकार से बाह्र्य नामित व्यक्ति)	
	-सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रेडियोग्राफर	166* (2019) *कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन ।	समूह 'ग' गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (रुपये 29,200- 92,300)	गैर-चयन पद	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी, (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के केंदशासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हताएं:	लागू	सीधी भर्ती होने	50% सीधी भर्ती
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।	नहीं।	वालों के लिए	द्वारा और 50%
(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में (दो वर्ष की अवधि) प्रमाणपत्र या डिप्लोमा; और		दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर
(ग) मान्यताप्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में रेडियोग्राफी में एक वर्ष का			सीधी भर्ती द्वारा ।
अनुभव।			
टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।			
टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि			
इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों			
को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं ।			

(11)	(12)	(13)
कनिष्ठ रेडियोग्राफर से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 में	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के	लागू
(21,700-69,100) में 10 वर्ष की नियमित सेवा।	विचारार्थ) का गठन:-	नहीं
टिप्पणी 1: रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को	 अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल -अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या 	
पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी।	र, गिरराज या राषुरा गिरराज या उन गिरराज या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	
बशर्ते, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया	-सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी विशेषतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय या राज्य सरकार से बाहर का नामिती) -सदस्य.	
जाएगा।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के	
टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। टिप्पणी 3 : नियमित आधार पर पहले से ही कनिष्ठ रेडियोग्राफर पद	विचारार्थ) का गठन:- 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल -अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल -सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता	
धारित कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार के लिए पात्रता सेवा परिशोधित भर्ती विनियम की अधिसूचना की तिथि को कनिष्ठ रेडियोग्राफर के ग्रेड के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 (रु. 21,700- 69,100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी।	3. विकिसी जीवकारी जीवकारी, रविवर्ष विरायसी से (केंद्रीय या राज्य सरकार से बाहर का नामिती) -सदस्य.	

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 25th February 2021

No. A-12/11/13/RR-Radiographer/2017-Med.-VI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relates to the posts of Junior Radiographer and Radiographer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Junior Radiographer and Radiographer in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Junior Radiographer and Radiographer, Recruitment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: -
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Radiographer.	250*(2019) *For all the units of	Group 'C', Non- Ministerial.	Level-3 in the pay matrix	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Employees' State Insurance Corporation subject to variation depending upon workload.		(Rs. 21,700- 69,100).		Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualifications: (i) 12th class pass with Science from a recognised Board. (ii) Certificate or Diploma in Radiography (Two Years Duration) from a recognised Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and (B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column number (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.
1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital	
–Chairman;	
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital	
–Member;	
3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government).	
–Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Radiographer.	166*(2019) *For all the units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation depending upon workload.	Group 'C', Non- Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200- 92,300).	Non- Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification:(a) 12th Class pass with Science from a recognised Board.(b) Diploma or Certificate in Radiography (Two years duration) from a recognised Institute; and	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	50% by direct recruitment and 50% by

(7)	(8)	(9)	(10)
(c) One year experience in Radiography in recognised Hospital or Medical Institute.			promotion failing which
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.			by direct decruitment.
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number			
of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion from Junior Radiographer with ten years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21,700- 69,100). Note 1: For promotion to the post of Radiographer, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). —Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance	(13) Not applicable.
qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical	
eligibility service. Note 3: The eligibility service for consideration for promotion of the officials already holding the post of Junior Radiographer on regular basis as on the date of notification of the revised recruitment regulations shall be five years regular service in the grade of Junior Radiographer in Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Insurance Corporation Hospital —Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). —Member.	

ANURADHA PRASAD Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054